**भारत सरकार**

**रसायन और उर्वरक मंत्रालय**

**रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या-371**

**दिनांक 19.11.2019 को उत्तर दिए जाने के लिए**

.....

**प्लास्टिक पर प्रतिबंध**

**371. श्री दीपक बैजः**

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में कितनी फैक्टरियां प्लास्टिक का उत्पादन कर रही हैं;

(ख) क्या सरकार ने 2 अक्तूबर, 2019 से इन फैक्टरियों में प्लास्टिक के उत्पादन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने देश में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा विभिन्न उत्पादों जैसे चिप्स, कुरकुरे, नमकीन, मैगी में प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**

**रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री डी.वी. सदानंद गौड़ा)**

(क) रासायनिक और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र मोटे तौर पर लाइसेंस मुक्त और नियंत्रण मुक्त हैं। जहां तक देश में प्लास्टिक का उत्पादन करने वाली फैक्ट्रियों की संख्या का प्रश्न है, रसायन और पेट्रो रसायन विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के पास ऐसा कोई डेटा उपलब्ध नहीं है।

(ख) और (ग) माननीय प्रधान मंत्री ने 2022 तक सभी सिंगल-यूज प्लास्टिक को हटाने की भारत की प्रतिज्ञा की घोषणा की है। इस संबंध में, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने केंद्र सरकार के कार्यालयों और इसके विभागों, प्रमुख सार्वजनिक उपक्रमों, कॉरपोरेट, आदि को अपने कार्यालयों में सिंगल-यूज प्लास्टिक उत्पादों को प्रतिबंधित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं और पत्र लिखें हैं।

(घ) और (ड.) सरकार ने प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम, 2016 को अधिसूचित किया है। नियमों के अनुसार, कचरे के उत्पादकों को प्लास्टिक कचरे के उत्पादन को कम करने, प्लास्टिक कचरे को इधर-उधर न फेंकने, स्त्रोत पर कचरे के पृथक्कृत भंडारण को सुनिश्चित करने और पृथक्कृत कचरे को स्थानीय निकायों द्वारा अधिकृत स्थानीय निकायों या एजेंसियों के सुपुर्द करने के लिए कदम उठाने का आदेश दिया है। नियम में प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन के लिए स्थानीय निकायों, ग्राम पंचायतों, कचरा उत्पादकों, रिटेलरों और स्ट्रीट वेंडरों की जिम्मेदारियों का भी अधिदेश है। उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड मालिकों को एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पांसबिलिटी के सिद्धांत के आधार पर कचरा संग्रह प्रणाली के लिए तौर-तरीके बनाने होंगे। नियम में पचास माइक्रोन से कम मोटाई के वर्जिन या रिसाइकिल्ड प्लास्टिक से बने कैरी बैग के उपयोग पर प्रतिबंध है। गुटखा, तंबाकू और पान मसाले के भंडारण, पैकिंग या बिक्री के लिए प्लास्टिक सामग्री से बने सैशे भी प्रतिबंधित हैं।

*****